बिहार सरकार

वित्त विभाग

पत्र सं0–38 / लो0उ0प्र0 (विविध)–17 / 15 52 वि0, पटना दिनांक– 14/3/18

संकल्प

अकार्यरत निगम / लोक उपक्रमों की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण कर्मियों के वेतन आदि का भुगतान वर्षो से लंबित चल रहा है। माननीय न्यायालयों में दायर वादों पर न्यायादेश के क्रम में मानवीय दृष्टिकोण एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के आलोक में निगम कर्मियों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा करोड़ो रूपये व्यय किया जा चुका है। अभी भी इस संबंध में माननीय न्यायालयों में कई वाद लंबित है।

मामलों के एकमुश्त समाधान हेतु अकार्यरत लोक उपक्रमों के कर्मियों के बकाये वेतनादि का भुगतान तथा इन निगमों के विभिन्न सरकारी विभागों में प्रतिनियुक्त एवं इन निगमों में शेष बचे कर्मियों की विभिन्न सरकारी विभागों में समायोजन की स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निम्नप्रकार से निर्णय लिया गया है–

1. इन लोक उपक्रमों के कर्मचारी, जो विभिन्न विभागों में समायोजित हैं, संबंधित विभाग से सेवानिवृत्त होंगे एवं उनकी सभी देयता संबंधित प्रशासी विभाग की होगी।
2. जो कर्मचारी विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्त हैं, उन्हें आदेश निर्गत होने की तिथि से विभागों में समायोजित किया जायेगा तथा समायोजन की तिथि से इन कर्मचारियों की देयता संबंधित विभाग की होगी।
3. 814 वैसे कर्मचारियों को, जो न तो कहीं समायोजित हैं और न प्रतिनियुक्त, विभिन्न विभागों के अंतर्गत रिक्त पदों पर समायोजित करने का प्रयत्न किया जायेगा। इस कार्य हेतु वित्त विभाग ऐसे कर्मचारियों की वर्गवार संख्या सभी विभागों को सूचित करेगा एवं सभी विभाग सीमित विज्ञापन निकालकर, आरक्षण का पालन करते हुए, समायोजन के द्वारा रिक्तियों को भरेगें। यह कार्य, इस संबंध में आदेश निर्गत की तिथि से 3 माह की अवधि में, पूरा कर लिया जायेगा। जो कर्मचारी समायोजित नहीं हो पाते हैं, उनका संबंधित प्रशासी विभाग, उस तिथि तक का बकाया वेतन एवं अन्य देयता का भुगतान वित्त विभाग से आवंटन प्राप्त करके, इस शर्त्त पर करेगा कि यह भुगतान उन कर्मचारियों के लिए एक–कालीय समझौता (One Time Settlement) माना जाएगा।
4. सेवानिवृत्त एवं मृत कर्मियों के अंशदायी भविष्य निधि में जमा राशि के सरकारी अंशदान का एकमुश्त भुगतान प्रशासी विभाग द्वारा किया जाएगा।
5. बिहार एवं झारखंड के बीच अंतर्राज्यीय निगमों की आस्तियों एवं दायित्वों के संबंध में झारखंड सरकार से वार्ता के बाद निर्णय लिया जायेगा। उपर्युक्त कंडिकाओं में प्रस्तावित व्यवस्था सम्प्रति उन्हीं लोक उपक्रमों के लिये मान्य होगी, जिनकी आस्तियों एवं दायित्वों का बंटवारा अंतिम रूप से विधिवत् संपन्न हो चुका है।
6. जहां तक अकार्यरत निगमों के पास उपलब्ध भूमि, भवन आदि का प्रश्न है, ये सभी "जैसा है जहाँ है" (as is where is) के आधार पर बियाडा को हस्तांतरित किए जाएंगे। बियाडा इन भूमि / भवनों को नियमानुसार विक्रय द्वारा उद्योग विभाग को हस्तांतरित करेगा एवं उससे प्राप्त राशि राजकीय कोष में जमा की जायेगी।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)

ज्ञापांकः– 38 / लो0उ0प्र0 (विविध)–17 / 15 52 वि0, पटना दिनांक– 14/3/18

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना एवं सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)

ज्ञापांकः– 38 / लो0उ0प्र0 (विविध)–17 / 15 52 वि0, पटना दिनांक– 14/3/18

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक / प्रशासक, बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम, बिहार राज्य वस्त्र निगम, बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम, बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम, बिहार फल एवं सब्जी विकास निगम, बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड, बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार पंचायती राज्य वित्त निगम लिमिटेड, बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य डेयरी कॉरपोरेशन लि0, बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम, बिहार राज्य जल विकास निगम, बिहार पठारी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम एवं बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं अविलंब कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)

ज्ञापांकः– 38 / लो0उ0प्र0 (विविध)–17 / 15 52 वि0, पटना दिनांक– 14/3/18

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव / सचिव, योजना एवं विकास विभाग, विधि विभाग, उद्योग विभाग, कृषि विभाग, गन्ना उद्योग विभाग, जल संसाधन विभाग, पंचायती राज विभाग, पर्यावरण एवं वन विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग एवं सूचना प्रावैद्यिकी विभाग को सूचनार्थ एवं अविलंब कार्रवाई हेतु प्रेषित / मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–06.03.2018 में मद संख्या–24 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)

ज्ञापांकः– 38 / लो0उ0प्र0 (विविध)–17 / 15 52 वि0, पटना दिनांक– 14/3/18

प्रतिलिपिः– आप्त सचिव, माननीय वित्त (उप मुख्य) मंत्री, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित / मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित / प्रधान आप्त सचिव, विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)

ज्ञापांकः– 38 / लो0उ0प्र0 (विविध)–17 / 15 52 वि0, पटना दिनांक– 14/3/18

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। कृपया अधिसूचना की 100 प्रति प्रकशनोपरांत लोक उपकम प्रशाखा, वित्त विभाग को भेजा जाय / श्रीमती रश्मि रेखा, सिस्टम ऐनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)